**रजिस्टर्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**
**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**
**संख्या-879/2018/1098/22-2-2018-17(115)/2017**
**लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2018**

**आदेश**

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी कल्याण सिंह (बन्दी संख्या-40985) पुत्र श्री गोबिन्द सिंह, जो-मोहम्मदगंज, थाना-मीरगंज, जनपद-बरेली** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-389/2003** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149, 148, 147, 201, 120बी** के अधीन **दिनांक 30.11.2004** को **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-2), बरेली** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में दयायाचिका समिति की संस्तुति के आधार पर बन्दी की आयु 79 वर्ष होने, 15 वर्ष से अधिक अपरिहार एवं 19 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने तथा जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, बरेली** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या-879/2018/1098(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in